

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2561] No. 2561] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2017/भाद्र 14, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2017/BHADRA 14, 1939

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

का.आ. 2920(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा-10 की उप धारा (1) के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम-13 की धारा (चक) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चातृ निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थातृ :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1)** इस आदेश का संक्षिप्त नाम सोलर फोटो वोल्टेइक प्रणालियाँ, उपकरण और संघटक माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2017 है।
 - (2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त होगा।
- 2. **परिभाषाएं (1)** इस आदेश में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;
 - (ख) "समचित प्राधिकारी" से कोई अधिकारी जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या इसके अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों के निदेशक या वैज्ञानिक 'एफ' से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसे सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है;
 - (ग) "माल" से अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सोलर फोटो वोल्टेइक प्रणालियों, उपकरणों अथवा संघटक माल अभिप्रेत है;
 - (घ) "नियमों" से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 अभिप्रेत है;
 - (ङ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (च) "उत्पादों की श्रृंखला" से उसी परिवार के उत्पाद अभिप्रेत हैं लेकिन जो आकार या रेटिंग या निर्माण में अलग-अलग हों;

5528 GI/2017 (1)

- (छ) माल के संबंध में "विनिर्दिष्ट मानक" से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक अभिप्रेत है;
- (ज) "मानक चिह्न" से किसी भारतीय मानक विशेष का प्रतिनिधित्व करने हेतु ब्यूरो द्वारा यथा निर्धारित भारतीय मानक प्रमाणन चिह्न अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों का, जो यहाँ प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में है।
- 3. माल के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध
 - (1) कोई विनिर्माता जो माल का विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री या वितरण करता है, अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित भारतीय मानक के संबंध में मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने हेतु ब्यूरो में आवेदन करेगा।
 - (2) ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और नियमों के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
 - (3) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे माल का विनिर्माण या बिक्री के लिए भंडारण, आयात, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है और ऐसे माल पर ब्यूरो से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के पश्चात् समय-समय पर ऐसे माल के लिए ब्यूरो द्वारा अधिसूचित मानक चिह्न नहीं है:

परन्तु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए आशयित माल के विनिर्माण के संबंध में लागू नहीं होगी।

(4) अवमानक या त्रुटिपूर्ण माल जो अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है, को विनिर्माता द्वारा उपयोगातीत विरूपित किया जाएगा और उनका व्ययन विनिर्माता अथवा विदेशी विनिर्माता के प्रतिनिधि द्वारा भारत में स्थित संपर्क कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माता द्वारा भारत में अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा स्क्रैप के रूप में किया जाएगाः

परन्तु भेजी गई ऐसी सामग्री जिस पर किसी के द्वारा दावा न किया गया हो, को समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा स्क्रैप माल के रूप में विरूपित और व्ययित किया जाएगा।

- 4. सूचना इत्यादि मांगने की शक्ति
 - (1) समचुत प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टि से विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, किसी माल की बिक्री या वितरण में लगे व्यक्ति से विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण आयात, किसी माल की बिक्री अथवा वितरण से संबंधित ऐसी सूचना, जो भी वह आवश्यक समझे, देने या किसी ऐसे व्यक्ति से माल के नमने उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।
 - (2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट समुचित जेष्ठ स्तर पर प्रत्येक बार किसी प्राधिकारी के विशिष्ट आदेश से समुचित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश का सुनिश्चित अनुपालन करने की दृष्टि से ------
 - (क) विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, आयात, माल की बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति से संबंधित अथवा उसके कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज और अन्य माल या संघटक पुर्जे अथवा उसके द्वारा रखी जाने वाले किसी माल की सामग्री का भी निरीक्षण कर सकेगा अथवा करा सकेगा;
 - (ख) किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा एवं उसकी तलाशी ले सकेगा तथा ऐसे माल का अभिग्रहण कर सकेगा जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है या उक्त माल विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है।
 - (3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध जहां तक हो सके, इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे
- 5. नमुना लेना और उसका परीक्षणः-
 - जहां माल विभिन्न आकार, रेटिंग, किस्मों आदि का है, वहां ऐसे उत्पादों को समूहबद्ध किया जाएगा और प्रतिनिधिक प्रतिरूपों के परीक्षण के आधार पर उत्पादों की श्रृंखला के लिए श्रृंखला अनुमोदन किया जा सकेगा।
 - आदेश का कार्यान्वयन करते समय श्रृंखला अनुमोदन संबंधी विनिश्चय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा।

- 3) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के माल का नमूना समचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विनिर्माण इकाई या बाजार से यह अभिनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा कि वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं या नहीं:
 - परन्तु यदि आवश्यक हो तो नमूने ब्यूरो या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी लिए जा सकेंगे।
- 4) नमूने प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद अथवा उत्पाद की श्रृंखला के लिए दो वर्ष में कम से कम एक बार लिए जाएंगे।
- 5) चुने जाने वाले स्थान और उत्पाद का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाएगा।
- 6) प्रदत्त रजिस्ट्री के संभावित क्षेत्र में आने वाले उत्पादों की रेंज में से कम से कम एक नमूने को परीक्षण के लिए चुना जाएगा।
- 7) इस तरह से लिए गए नमूने को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए समुचित रूप से मुहरबंद किया जाएगा और रजिस्ट्री संख्या, सैंपल लिए जाने की तारीख, बाजार नमूने या विनिर्माण इकाई नमूने के स्नोत, नमूना लेने वाले व्यक्ति का तीन अंकीय कोड और पहचान संख्या, यदि माल पर दी गई हो, तो लेबल के रूप में नमूने पर उपदर्शित किया जाएगा। परन्तु जहां नमूना विनिर्माण यूनिट से लिया गया है, वहां परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले नमूने के अतिरिक्त उसी बैच अथवा लॉट से अन्य नमूना भी लिया जाएगा और उसे भी मुहरबंद किया जाएगा और उस पर भी लेबल लगाया जाएगा और उसे प्रति नमूना के रूप में रजिस्ट्री उपयोक्ता के पास पश्चातवर्ती किसी विवाद की स्थित में प्रयोग हेतु रखा जाएगा।
- 8) इस तरह से लिए गए मुहरबंद और लेबलयुक्त नमूने को समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ब्यूरो की ओर से स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए यह उपदर्शित करने वाले अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि नमूने की जांच विनिर्दिष्ट मानक की सभी आवश्यकताओं की बाबत की जाए और जांच रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को भेजी जाएगी।
- 9) सभी जांच रिपोर्टों की नमूने की अनुरूपता के लिए विनिर्दिष्ट मानकों की सभी आवश्यकताओं की बाबत जांच की जाएगी।
- 10) अनुरूप नमूने की जांच रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगी और अननुरूप नमूने की जांच रिपोर्ट को एक पखवाड़े के भीतर समुचित प्राधिकारी द्वारा ब्यूरो को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।
- 11) समुचित प्राधिकारी कार्यवाही की प्रास्थिति से संबंधित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।
- 6. विनिर्माताओं को निदेश जारी करने की शक्ति समुचित प्राधिकारी, इस आदेश के प्रयोजन को पूरा कराने के लिए अधिनियम, नियम या इस आदेश के उपबंधों के संगत, जो भी आवश्यक हो, विनिर्माताओं को निदेश जारी कर सकेंगे।
- 8. जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता कोई भी विनिर्माता खण्ड 4 के अधीन विधिपूर्वक मांगी गई जानकारी देने से इंकार नहीं करेगा या अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक या संबंधित दस्तावेज को नष्ट, विकृत या विरूपित नहीं करेगा और कोई जानकारी नहीं छुपाएगा।

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्रिस्टेलाइन सिलिकॉन टेरेस्टरियल	आईएस 14286	क्रिस्टेलाइन सिलिकॉन टेरेस्टरियल
	फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल्स		फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल्स – डिजाइन
	(एसआई वैफर आधारित)		पात्रता और टाइप स्वीकृति
2	थिन-फिल्म टेरेस्टरियल फोटोवोल्टिक	आईएस 16077	थिन-फिल्म टेरेस्टरियल फोटोवोल्टिक
	(पीवी) मॉड्यूल्स (ए-एसआई,		(पीवी) मॉड्यूल्स – डिजाइन पात्रता और
	सीआईजीएस और सीडीटीई)		टाइप स्वीकृति
3	पीवी मॉड्यूल (एसआई वैफर और थिन	आईएस/आईईसी 61730	फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा
	फिल्म)	(भाग-1)	योग्यता भाग-1 निर्माण की आवश्यकताएं
		3 4 54 4 /3 4 5 5 1 64 730	nddder (AA) nia
		आईएस/आईईसी 61730 (भाग-2)	फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल सुरक्षा योग्यता भाग-2 परीक्षण के लिए
		(4(4-2)	आवश्यकताएं
4	फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली में प्रयोग	आईएस 16221	फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली भाग-1 में
'	के लिए पावर कन्वर्टर्स	(भाग-1)	प्रयोग के लिए पावर कन्वर्टर्स की सुरक्षा की
	,	,	सामान्य आवश्यकताएं
		आईएस 16221	फोटोवोल्टिक विद्युत प्रणाली भाग-2 में प्रयोग के लिए पावर कन्वर्टर्स की सुरक्षा
		(भाग-2)	विशेषकर इन्वर्टरों के लिए आवश्यकताएं
		,	11.11.11.7 \$ 30.00 11.10.15 \$11.10.15
5	यूटीलिटी – इन्टरकनेक्टेड	आईएस 16169	यूटीलिटी इन्टरकनेक्टेड फोटोवोल्टिक
	फोटोवोल्टिक इन्वरटर्स		इन्वरटर्स के लिए आइसलैंडिंग निवारण के
			उपायों के लिए परीक्षण प्रक्रिया
6	भण्डारण बैटरी	आईएस 16270	सौर फोटोवोल्टिक अनुप्रयोग के लिए
			सेकेन्डरी सेल और बैटरी – परीक्षण की
			सामान्य आवश्यकताएं और तरीके

[फा. सं. 3-6/2015-16 आर एंड डी] डॉ. बी. एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY ORDER

New Delhi, the 30th August, 2017

S.O. 2920(E).— In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub section (1) of section 10 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

- **1. Short title and commencement (1)** This Order may be called the Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017.
 - (2) It shall come into force on the expiry of one year from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions (1)** In this Order, unless the context otherwise requires -
 - (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - (b) "Appropriate Authority" means any officer, not below the rank of Director or Scientist 'F', of the Ministry of New and Renewable Energy or its sub-ordinate or attached offices, authorised by the Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India;
 - (c) "Goods" means the Solar Photovoltaics Systems, Devices or Components goods specified in the column (2) of the Schedule;
 - (d) "Rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 1987;
 - (e) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;
 - (f) "Series of products" means the products of the same family but varying in sizes or rating or construction;
 - (g) "Specified Standard" in relation to Goods means the Indian Standard as specified in column (3) of the Schedule.
 - (h) "Standard Mark" means the Bureau of Indian Standards Certification Mark as specified by the Bureau to represent a particular Indian Standard.
 - (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and the rules made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and those rules.
- 3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale, distribution, etc. of Goods-
 - (1) Any manufacturer, who manufactures, stores for sale, sells or distributes Goods shall make an application to the Bureau for obtaining registration for use of the Standard Mark in respect of the Indian Standard mentioned in column (3) of the Schedule.
 - (2) The grant of registration by the Bureau shall be as per the provisions of the Act and Rules and Regulations made thereunder.
 - (3) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, import, sell or distribute Goods which do not conform to the Specified Standard and do not bear the Standard Mark as notified by the Bureau for such Goods from time to time after obtaining registration from the Bureau:
 - Provided that nothing in this Order shall apply in relation to manufacture of Goods meant for export.
 - (4) The substandard or defective Goods which do not conform to the Specified Standard mentioned in column (3) of the Schedule shall be deformed beyond use and disposed of as a scrap by the manufacturer or the representative of overseas manufacturer from liaison office or branch office located in India or by any agency authorised by the manufacturer as its authorised representative in the India:

Provided that unclaimed consignment of such Goods shall be deformed and disposed of as scrap by such department or agency as may be authorised by the Appropriate Authority.

- 4. Power to call for information, etc.-
 - (1) The Appropriate Authority or a person authorised by it may, with a view to secure compliance with this Order, require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any Goods to give such information as the said Authority deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, import, sale or distribution of any Goods or require any such person to furnish to it samples of Goods.
 - (2) With the specific order each time of an Authority at an appropriate senior level nominated by the Secretary in the Ministry of New and Renewable Energy, the Appropriate Authority or person authorised by it, with a view to secure compliance with this Order may also-
 - (a) inspect or cause to be inspected any books or other document and other Goods or the components or materials of any Goods kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, import, sale or distribution of Goods;

- (b) entry and search any premises and seize Goods in respect of which it has reason to believe that a contravention of this order has been committed or the said Goods are not complying to the specified standard.
- (3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall so far as may be, apply to searches and seizures under this paragraph.
- 5. Drawing and testing of sample.-
 - (1) Where the Goods have different sizes, ratings, varieties, etc., such Goods shall be grouped and may be granted series approval for a Series of products based on testing of representative models.
 - (2) A decision concerning series approval shall be taken by the Ministry of New and Renewable Energy or its authorised agencies while implementing this order.
 - (3) The sample of Goods of the registered user shall be drawn from his manufacturing unit or from the market by the Appropriate Authority or person authorised by it for ascertaining whether they conform to the Specified Standard:
 - Provided that if required, samples may also be drawn by the Bureau or its authorised representatives.
 - (4) The samples shall be drawn at least once in two years for a product or Series of products covered under the scope of registration granted.
 - (5) The location and the product to be picked up shall be selected randomly.
 - (6) At least one sample from the range of products covered in the scope of registration granted shall be picked up for testing.
 - (7) The sample so drawn shall be properly sealed to protect it from any damage and labelled indicating the registration number, the date of the drawl of sample, the source of the market sample or manufacturing unit sample, a three-letter code of the person drawing the sample and the identification number, if any, given on the Goods:
 - Provided that where the sample drawn from the manufacturing unit, in addition to the sample to be sent for testing, another sample from the same batch or lot shall also be drawn, sealed and labelled, and left with the registered user as a counter sample, for use in case of any subsequent dispute.
 - (8) The sample so drawn, sealed and labelled, shall be sent by the Appropriate Authority or person authorised by it for testing to a laboratory established or recognised by the Bureau along with a request indicating that the sample shall be tested with respect to all the requirements of the Specified Standard and the test report shall be sent to the Appropriate Authority.
 - (9) All the test report shall be scrutinised for conformity of the sample with respect to the requirements of the Specified Standard.
 - (10) The test report of the conforming sample shall be retained by the Appropriate Authority and the test report of the non-conforming sample shall be sent to the Bureau by Appropriate Authority within a fortnight for further action.
 - (11) The Appropriate Authority shall also make available the information regarding the status of processing on its website.
- 6. Power to issue directions to manufacturers.- The Appropriate Authority may issue such directions to manufactures, consistent with the provisions of the Act, Rules and this Order, as may be necessary, for carrying out the purposes of this Order.
- 7. Compliance of directions.- Every manufacturer to whom any direction is issued under this Order shall comply with such direction.
- 8. Obligation to furnish information.- No manufacturer shall refuse to give any information lawfully demanded from him under paragraph 4 or conceal, destroy, mutilate or deface any book or document relating thereto in his possession or control.

SCHEDULE

Sl. No. (1)	Product (2)	Indian Standard Number (3)	Title of Indian Standard (4)
1.	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules (Si wafer based)	IS 14286	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules - Design Qualification And Type Approval
2.	Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules (a-Si, CiGs and CdTe)	IS 16077	Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval
3.	PV Module (Si wafer and Thin film)	IS/IEC 61730 (Part 1) IS/IEC 61730 (Part 2)	Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 1 Requirements for Construction Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 2 Requirements for Testing
4.	Power converters for use in photovoltaic power system	IS 16221 (Part 1) IS 16221 (Part 2)	Safety of Power Converters for use in Photovoltaic Power Systems Part 1-General Requirements Safety of Power Converters for Use in Photovoltaic Power Systems Part 2-Particular Requirements for Inventors
5.	Utility -Interconnected Photovoltaic inverters	IS 16169	Particular Requirements for Inverters Test Procedure of Islanding Prevention Measures for Utility-Interconnected Photovoltaic Inverters
6.	Storage battery	IS 16270	Secondary Cells and Batteries for Solar Photovoltaic Application General- Requirements and Methods of Test

[F. No. 3-6/2015-16 R & D]

Dr. B. S. NEGI, Advisor/Scientist 'G'